

मैसर्स सोनी इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

केंद्रीय उत्पाद कर आयुक्त, दिल्ली

5 मई, 2004

एस. राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, धारा 4 ए (2), 11-एबी और 11-एसी - उत्पाद शुल्क-रंगीन टेलीविजन पर चाहे वह विज्ञापन मूल्य के आधार पर हो या अधिसूचना शुल्क द्वारा विशिष्ट दर पर लागू किया गयाद्य निर्माता ने पैकेज पर खुदरा मूल्य नहीं छापा या ऐसा खुदरा बिक्री मूल्य वह मूल्य नहीं था जैसा कि स्पष्टीकरण में विचार किया गया था या जहां खुदरा बिक्री मूल्य एकमात्र विचार नहीं था, निर्माता द्वारा कारखाने के द्वार से माल की मंजूरी और उनके डिपो और उपहारों पर चिपकाए गए बिक्री मूल्य-विज्ञापन मूल्य के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से शुल्क और जुर्माना और भार और माप अधिनियम के उल्लंघन के रूप में लगाया गया ब्याज सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा शुल्क की पुष्टि . अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: 18 प्रतिशत की दर से विज्ञापन मूल्य के आधार पर लगाया जाने वाला शुल्क - निर्माता ने उच्च शुल्क के भुगतान से बचने के उद्देश्य से कारखाने से माल को हटा दिया था। भार और माप मानक अधिनियम, 1976 का उल्लंघन किया गया। उगाही का लेगट ने पुष्टि की,

अपील में निर्धारित जो शुल्क लगाया जाना था वह लागत मूल्य पर लगाया जाना था। वह 18 प्रतिशत की दर से था। निर्माता ने माल को अपने कारखाने के दरवाजे से निकाला था जो इस उद्देश्य से था कि उसे उच्चतर दर पर शुल्क नहीं देना होगा। यह ध्यान में नहीं रखते हुए कि उपहार, विक्रय कीमत का एकमात्र जरिया नहीं हो सकता। वजन और माप अधिनियम के मानकों के अनुसार - वजन और माप के मानक (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 1977।

अपीलार्थीगण जो रंगीन टी. वी. के निर्माता हैं उन्हें उत्पाद पर 18 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार उत्पाद कर देना था। 2.6.98 को एक अधिसूचना जारी की गई कि जहां निर्माता रंगीन टी. वी. के पैकेज पर उसकी खुदरा दर नहीं छापता अथवा जहां खुदरा कीमत रंगीन टी.वी. प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त नहीं होती अथवा जहां खुदरा विक्रय दर में वे तत्व शामिल नहीं हैं जो अधिसूचना के स्पष्टीकरण के अनुसार होने चाहिए अथवा जहां खुदरा विक्रय दर एकमात्र विक्रय का प्रारूप नहीं है। ऐसे मामलों में एक विशिष्ट कर लगाये जाने योग्य है जो इस बात पर निर्भर करता है कि टी. वी. का पर्दा कितना बड़ा है।

उत्पाद कर अधिकारियों ने सभी प्रकार के रंगीन टी. वी. माॅडल्स पर कर की मांग अपीलार्थी से मूल्यानुसार आधार पर की जो 18 प्रतिशत थी तथा साथ में उन पर धारा 11 एसी के तहत दंड आरोपित किया व 11 एबी के तहत ब्याज भी आरोपित किया। उत्पाद अधिकारियों ने यह पाया

कि निर्माता के स्थान से माल हटाया गया जबकि उसके ऊपर खुदरा विक्रय कीमत नहीं लिखी गयी थी जो परमावश्यक थी क्योंकि उन्हें पैकेज्ड स्थिति में माल के बाहर भेजने से पूर्व कीमत लिखनी होती है जो वजन और माप अधिनियम, 1976 की परमावश्यकता है। अपीलार्थी का कथन था कि उनके द्वारा माल का अंतरण मात्र कारखाने से डिपो तक किया गया था तथा डिपो पर खुदरा विक्रय दर छाप दी गयी थी। माल का यह अंतरण माल का विक्रय नहीं था क्योंकि विक्रय डिपो से किया जा रहा था और कि छपी हुई खुदरा दर एकमात्र विचार नहीं था क्योंकि उन्होंने एक अदला-बदली की योजना बनाई थी। अतः उन पर मूल्यांकन के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता जो 18 प्रतिशत था। उत्पाद कर अधिकारियों ने उनका यह कथन अस्वीकृत कर, कर लगाना सुनिश्चित किया। अपील में उत्पाद आबकारी एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल, सीईजीएटी ने अधिकारी का आदेश पुष्ट किया तथा निर्धारित किया कि मुफ्त के उपहारों के रहते हुए भी विक्रय मूल्य जो क्रेताओं से लिया गया वह एकमात्र तरीका होने का स्वरूप नहीं छोड़ देता क्योंकि यह परमावश्यक है कि माल की अधिकतम खुदरा विक्रय दर पैकेज पर कारखाने से बाहर लाते समय छाप दी जाये। वह अवधि जो कर की मांग के लिये बढ़ायी गयी एवं धारा 11 एबी व धारा 11 एसी के दांडिक प्रावधान सही तरीके से लागू किये गये। यह भी कि अपीलार्थी के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह युक्तियुक्त विश्वास में था कि उनका मामला उस मामले में आता है कि “खुदरा विक्रय कीमत एकमात्र कारक ऐसे विक्रय के लिये हो” क्योंकि अपीलार्थी ने

अधिकतम खुदरा कीमत को छापने का काम स्थगित कर दिया था और उससे पहले ही कारखाने के परिसर से माल डिपो तक जानबूझ कर पहुंचा दिया था कि उसे उचित दर पर कर न देना पड़े जो उसके माल पर लागू है। इसी कारण यह अपील की गयी।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित -

1. अपीलार्थी ने कारखाने से माल को डिपो में ले जाते समय उसकी कीमत इंगित नहीं की अपितु कीमत डिपो में लगाई ,अतः यह स्पष्ट है कि कारखाने के परिसर से डिपो तक माल ले जाने का कृत्य इसी उद्देश्य से था कि उच्च दर पर कर नहीं लगे। यद्यपि माल को अपीलार्थी के डिपो से विक्रय किया गया। यह स्पष्ट है कि यह कृत्य माल पर कीमत चिपकाने के बाद किया गया और वही विक्रय कीमत प्रश्नगत माल की रही। इसके बावजूद कि मुफ्त उपहार अपीलार्थी द्वारा क्रेताओं को टी.वी. सेट के विक्रय पर प्रस्तावित किये गये। क्रेताओं से जो विक्रय मूल्य प्राप्त किया गया वह एकमात्र कारण उस विक्रय का होना नहीं रुक सकता। उपहारों का प्रस्ताव मात्र प्राथमिक फायदा था न कि विक्रय मूल्य का हिस्सा जो टी. वी. के लिये दिया गया। समस्त तथ्यों का मूल्यांकन करने से व संव्यवहार की प्रकृति देखने से जो अपीलार्थीगण द्वारा की गयी। अधिकरण द्वारा दिया गया विचार कि कारखाने से डिपो तक माल ले जो का कृत्य माल का विक्रय नहीं कहा जा सकता एवं वास्तविक माल का विक्रय तब हुआ जब माल डिपो में पहुंच गया। और उस पर खुदरा विक्रय कीमत छापी गयी।

यह भी कि विक्रय कीमत जो क्रेताओं से प्राप्त की गयी वह एक विक्रय संव्यवहार था। यह देखते हुए भी कि उन्हें मुफ्त उपहार दिये गये। यह विचार युक्तियुक्त है तथा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ;

133.1.कद्ध

2. धारा 11 एसी केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम 1944 के तहत वह तरीका जिसके तहत संपूर्ण संव्यवहार किया गया एकदम स्पष्ट करता है कि अपीलार्थीगण का दायित्व है कि वे कर अदा करें, इन परिस्थितियों में कि धारा 11 ए (प) के प्रावधान स्पष्ट हैं। अतः यदि अधिकारियों ने अपीलार्थी पर देय योग्य कर के बराबर दण्ड अधिरोपित किया है तो हमारा हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार नहीं है। (133-सी-एफ)

सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सहायक आयुक्त विक्रय कर व अन्य (1980) ईएलटी 295, पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद कर आयुक्त, बम्बई (1995) 78 ईएलटी 401, उड़ीसा प्रदेश राज्य व अन्य बनाम कस्तूरी लाल हरलाल (1987) 67 ईएलटी 154, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध उड़ीसा राज्य (1970) 25 एसटीसी 211 एवं मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (1998) 99 ईएलटी 33 एससी में फर्क किया गया।

3. वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण 18 प्रतिशत की विक्रय मूल्य पर कर अदा कर रहे थे, जो अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत पर थी। 2.6.98 के बाद अपीलार्थी ने यह परिवर्तन किया कि वह कारखाने में माल की

कीमत पैकेज पर नहीं छाप रहा था तथा उसे अपने डिपो में ले जा रहा था। ताकि यह दावा किया जा सके कि पैक माल को उनके कारखाने से हटाते वक्त उनकी कीमत नहीं आंकी गई तथा अपीलार्थी द्वारा उपहार भी प्रस्तावित किये गये। यह इशारा करने के लिए कि विक्रय संव्यवहार में मूल्य की एकमात्र स्थिति नहीं थी। इन बिंदुओं को अधिकारियों ने सही तरीके से ध्यान में लिया और दण्ड अधिरोपित किया जिसे वर्तमान कार्यवाही में नहीं देखा जा सकता (133-जी-एच, 134-ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 4964/2000

केंद्रीय आबकारी उत्पाद सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ने एफओ सं. 488/2000-ए जो ए संख्या एफ / 2335/99 ए में 12.6.2000 को आदेश व निर्णय पारित किया, के विरुद्ध।

वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव, वी. बालचंद्रन एवं अनिल मिश्रा अपीलार्थी की ओर से

राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त साँलिसिटर जनरल, अधारू यशांक, टी. ए. खान, श्रीमती बीनू टमटा एवं बी. के. प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

एस. राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को आयुक्त केंद्रीय उत्पाद द्वारा जारी कर 2,07,64,870.16 रुपये की मांग का 1.7.98 से 31.1.99

की अवधि के लिये जारी किया गया। अपीलार्थी ने इस मांग की पालना कर दी। परंतु अपना विरोध जाहिर किया तथा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर उसमें उठाये गये प्रत्येक बिंदु का प्रत्युत्तर दिया। आयुक्त ने अंततः यह निर्णय दिया कि जो माल निर्माता ने कारखाने से बिना उसकी खुदरा विक्रय दर छाप कर हटाया है वह गलत है क्योंकि यह उनके लिए परमावश्यक था कि एक बार माल कारखाने से पैक होकर उस हालात में निकाला जाता है तो वजन एवं माप अधिनियम 1976 की आवश्यकताओं के अनुसार उस पर कीमत अंकित होनी चाहिए। यह स्वीकार किया गया कि यह कारखाने परिसर से डिपो तक माल का अंतरण था तथा माल की कीमत डिपो पर अंकित कर दी गयी थी। अपीलार्थी का तर्क था कि माल का अंतरण मात्र था। माल का विक्रय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वास्तविक माल का विक्रय उनके डिपो से किया गया था। जहां पर वे माल की खुदरा विक्रय दर छाप कर माल को विक्रय कर रहे थे। उनका यह भी तर्क है कि छपी हुई खुदरा विक्रय दर ही एक मात्र विचार होगा क्योंकि उन्होंने एक अदला-बदली की योजना भी चालू की थी कि माल बाजार में विक्रय किया जा रहा है तथा जो माल की पैकेज पर छपी हुई कीमत है उसी पर विक्रय हो रहा है यह भी कि केंद्रीय उत्पाद कर मूल्यानुसार आधार पर 18 प्रतिशत की दर पर सभी माॅडल्स पर जो उसके द्वारा उत्पादित टी.वी. थे, नहीं लगाया जा सकता। उसके यह तर्क आयुक्त द्वारा अमान्य किये गये।

उत्पाद आबकारी एवं सोना नियंत्रण अपीलीय अधिकरण ने आयुक्त के आदेश की अपील करने पर निर्धारित किया कि रंगीन टी.वी. एक ऐसा माल है जिसका विक्रय वजन और माप अधिनियम, 1976 के मानकों व उसमें बनाये गये नियमों के तहत होगा तथा विक्रय कीमत की घोषणा उनके पैकेज पर धारा 4-ए(2) केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम के तहत करनी होगी तथा जो लागू दर पर करनी होगी। जिसका संदर्भ खुदरा विक्रय दर से होगा व खुदरा व्यापारिक विक्रय से उपशमन के बाद होगा जैसा कि उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित है अतः अधिकरण ने निर्धारित किया कि रंगीन टी.वी. 18 प्रतिशत के मूल्यानुसार कर योग्य है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा उपहार देने का प्रस्ताव है यह कहा गया कि उसके द्वारा मुफ्त उपहार देने से विक्रय कीमत नहीं बदलती और विक्रय कीमत एकमात्र तरीका है जिससे विक्रय किया गया अतः अधिकरण ने आयुक्त के विचार का समर्थन करते हुए यह निर्धारित किया कि अपीलार्थी के लिए यह परमावश्यक था कि वह पैकेज पर माल की अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत कारखाने से बाहर निकालते वक्त ही करे और यह आवश्यकता वजन और माप अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार भी है क्योंकि यह एकमात्र विक्रय का कारण है। अधिकरण ने यह भी देखा कि अपीलार्थी सिर्फ अपने माल के स्टॉक का अंतरण कारखाने से डिपो तक कर रहा है वह खुदरा विक्रय दर डिपो में छापी जा रही है। यह भी कि स्टॉक का यह अंतरण माल का विक्रय नहीं है। वास्तविक माल का विक्रय उनके डिपो से किया गया था और जब माल बेचा गया तब उस पर खुदरा विक्रय कीमत छपी

हुई थी और यह खुदरा विक्रय कीमत एकमात्र तरीका था जो विक्रय कर माल के विक्रय एवं केंद्रीय उत्पाद कर के लिये सोच-विचार योग्य थी तथा जिस दर पर 18 प्रतिशत मूल्यानुसार कर रंगीन टी.वी. पर लगाया जायेगा जैसा कि अधिसूचना जो 4-ए(ए) अधिनियम में जारी की गयी जो निर्धारित है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा उपहार देने का प्रश्न है यह कहा गया है कि इसके बावजूद कि मुफ्त उपहार अपीलार्थी द्वारा क्रेताओं को टी.वी. के विक्रय पर प्रस्तावित किये गये। क्रय कीमत जो क्रेताओं से वसूल की गयी वह ऐसे विक्रय का एकमात्र विक्रय मूल्य होना खत्म नहीं करेगा अतः अधिकरण ने आयुक्त के निर्णय को पुष्ट किया कि अपीलार्थी के लिए यह परमावश्यक था कि पैकेज पर अधिकतम खुदरा मूल्य छापे जब कारखाने से माल बाहर निकाला जाये जो कि वजन और माप अधिनियम, 1976 के मानकों की आवश्यकता है तथा यह एकमात्र विक्रय का आधार है। अधिकरण ने यह भी इंगित किया कि अपीलार्थी मात्र अपने माल के स्टॉक का अंतरण कारखाने से डिपो में कर रहा है। उसका खुदरा मूल्य डिपो पर छपा जा रहा है। स्टॉक का यह अंतरण माल का विक्रय नहीं कहा जा सकता। वास्तविक माल का विक्रय डिपो से हुआ है और जब माल का विक्रय हुआ है तब उन पर खुदरा मूल्य पैकेज पर छपा हुआ था। यह छपा हुआ खुदरा विक्रय मूल्य एकमात्र माल के विक्रय का आधार था तथा केन्द्रीय उत्पाद कर रंगीन टी.वी. पर 18 प्रतिशत की दर से निर्धारण योग्य

थी जैसा कि अधिसूचना जो धारा 4-ए(ए) अधिनियम के तहत जारी की गयी है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क का प्रश्न है कि वे युक्तियुक्त विश्वास रखते हैं कि उनका मामला इस अभिव्यक्ति से युक्त नहीं है कि “खुदरा विक्रय मूल्य एकमात्र इस विक्रय का तरीका है।” और उसकी कीमत माल को कारखाने से निकालते वक्त उस पर छपी हुयी नहीं थी तथा उन्होंने अपने से संबंधित अधिकारियों को यह सब इंगित कर दिया था। अधिकरण ने इस बात की ओर इशारा किया कि अपीलार्थी को अधिकतम खुदरा मूल्य पैकेज पर माल के कारखाने से बाहर निकालते समय छाप देनी चाहिये कि उन्होंने विधिक प्रावधानों की कठोरता को अलग करने के लिए जो अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य पर कर देने से संबंधित है यह कृत्य किया, उन्होंने अधिकतम खुदरा मूल्य कारखाने से माल बाहर निकालते वक्त नहीं छापा अपितु डिपो में छापा। यह एकमात्र इस आशय से किया गया कि कर देने का कार्य उचित दर पर नहीं हो सके। अतः अपीलार्थी के लिए युक्तियुक्त विश्वास जैसा बिंदु उठाने की कोई परिस्थिति नहीं थी। अधिकरण का यह भी विचार था कि कर की मांग की बढ़ाई गई अवधि और धारा 11 एबी व 11 एसी के दाण्डिक प्रावधान उचित रूप से आयुक्त द्वारा प्रयुक्त किये गये हैं। अधिकरण ने अपने सामने प्रस्तुत हुई निम्न हजीरों से प्रभावित हुये बिना ऐसा किया।

सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड विरुद्ध सहायक आयुक्त कर व अन्य, 1980 (2) ईएलटी 295, उत्तम फार्मास्युटिकल कंपनी विरुद्ध आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर, मुम्बई (1995) 78 ईएलटी 401 एससी, उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम कस्तूरी लाल हरलाल (1987) 67 ईएलटी 154, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध उड़ीसा राज्य (1970) 25 एसटीसी 211 एवं मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (1998) 99 ईएलटी 33 एससी।

आयुक्त व अधिकरण के समक्ष दिये गये तर्कों को हमारे समक्ष दोहराया गया है, जो मामले के गुणावगुणों से संबंधित है।

एकमात्र प्रश्न जो वर्तमान मामले में विचार के लिए पैदा होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी को मूल्यानुसार निर्धारित दर पर उत्पाद कर देना था अथवा जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है विशिष्ट दरों पर देय था। 2.6.98 के पूर्व रंगीन टी.वी. पर एक ही कर वसूली योग्य था। जो 18 प्रतिशत निर्धारित दर थी। यह कर अधिकतम खुदरा मूल्य जो छपा हुआ था। उस पर देय होता था। यह खुदरा विक्रय मूल्य पर 30 प्रतिशत विक्रय मूल्य पर उपशमन के बाद लगता था। परंतु विज्ञप्ति दिनांक 2.6.98 में यह इशारा किया गया है कि जहां निर्माता ने पैकेज पर खुदरा मूल्य रंगीन टी.वी. क्रेताओं के लिए नहीं छापा है अथवा जहां ऐसी खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा मूल्य नहीं है जैसा कि विज्ञप्ति के स्पष्टीकरण में विचार किया गया है। यह कि ऐसे मामले में जहां खुदरा विक्रय मूल्य या तो वे तत्व नहीं

रखता जो स्पष्टीकरण में दिये गये हैं अथवा जहां खुदरा मूल्य एकमात्र विक्रय का विचार नहीं है तब ऐसे सभी मामलों में कर की विशिष्ट दर 1500 रु. प्रति सेट से रु.5400 प्रति सेट की दर से वसूली योग्य है जो इस बात पर निर्भर करती है कि रंगीन टी.वी. का पर्दा किस आकार का है। अपीलार्थी का तर्क है कि उन्होंने एक उपहार योजना भी जारी की जिसमें वे वीआईपी सूटकेस तथा डोरीमुक्त हेडफोन बिना कीमत के उपहार में दे रहे थे तथा उनका मानना है कि वे विशिष्ट कर की श्रेणी में आने के अधिकारी हैं। बुनियादी तर्क यह था कि उन्होंने रंगीन टी.वी. का विक्रय मूल्य अपने कारखाने से बाहर निकालते वक्त उस पर नहीं छापा और कीमत का प्रस्ताव इस संव्यवहार में एकमात्र कारण नहीं था क्योंकि उनके द्वारा कुछ उपहार देना शामिल था। यह बात तथ्य के रूप में अधिकरण ने सत्य मान ली है। अधिकरण ने व आयुक्त ने सत्य मान ली है कि अपीलार्थी ने अपना माल कारखाने परिसर से उस पर कीमत इंगित किये बिना निकाला है परंतु उसकी कीमत डिपो में अंकित की है। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आशय कारखाना परिसर से माल बाहर निकालकर डिपो में ले जाने का यही था कि उन्हें उच्चतर कर नहीं देना पड़े। वजन एवं माप (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम 1977 के मानकों में विशिष्ट रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि हर पैकेज पर या उस पर अच्छी तरह चिपके हुए लेबल पर एक निश्चित साधारण एवं स्पष्ट घोषणा होगी जो अन्य चीजों के अलावा होगी कि पैकेज का विक्रय मूल्य क्या है। अतः यद्यपि माल को डिपो से विक्रय किया गया, यह स्पष्ट है कि डिपो में कीमत चिपकायी

जाकर उसे माल का विक्रय मूल्य बनाया गया। इस पर भी मुफ्त उपहार जो अपीलार्थी द्वारा क्रेताओं को टी.वी. सेट के विक्रय पर प्रस्तावित किये गये व अधिकरण द्वारा देखा गया कि विक्रय मूल्य जो क्रेताओं से लिया गया वह एकमात्र तरीका विक्रय का था वह इससे खत्म नहीं हो जाता। उपहारों का प्रस्ताव एक आकस्मिक फायदा था तथा विक्रय मूल्य का हिस्सा नहीं बन सकता जो टी.वी. सेट विक्रय में प्रयुक्त किया गया। समस्त परिस्थितियां देखते हुए एवं अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त किये गये संव्यवहार से अधिकरण द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि अपीलार्थी द्वारा कारखाना परिसर से डिपो में माल का अंतरण माल का विक्रय नहीं कहा जा सकता तथा वास्तविक माल का विक्रय उनके डिपो से हुआ और जब माल का विक्रय किया गया तब उस पैकेज पर खुदरा कीमत छपी हुई थी। यह भी कि विक्रय मूल्य जो क्रेताओं से वसूला गया वह एक विक्रय संव्यवहार था। यह होते हुए भी कि उन्हें मुफ्त उपहार देना प्रस्तावित किया गया अतः उनका यह तर्क युक्तियुक्त है तथा हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अब दूसरा बिंदु जिस पर विचार करना है वह यह है कि क्या धारा 11 एसी के तहत लगाया गया दंड व धारा 11 एबी में लगाया गया ब्याज मामले की परिस्थितियों में उचित था। आयुक्त ने अपीलार्थी पर रुपये दो करोड़ सात लाख चैसठ हजार चार सौ सत्तर दशमलव सोलह का दंड लगाया जो उसके द्वारा देय उत्पादन कर के बराबर था। केंद्रीय उत्पाद कर की

धारा 11 एसी के तहत वह तरीका जिसमें संपूर्ण संव्यवहार व उससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का दायित्व था कि वह धारा 11 ए(प) के प्रावधानों के तहत उत्पाद कर अदा करे। अतः हम सोचते हैं कि यदि अधिकारियों ने देय कर के बराबर दंड अपीलार्थी पर लगाया है तो हम नहीं मानते कि उसमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। वे निर्णय जो विद्वान अभिभाषकगण ने प्रस्तुत किये हैं उन सबके भिन्न भिन्न रंग एवं स्वरूप हैं। यह प्रस्तुत किये गये मामले ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुये जहां कुछ कृत्य युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर अथवा पक्षकारों के युक्तियुक्त संदेह के आधार पर थे कि उन्हें किस टैरिफ माल के लिए प्रश्नगत कर देना है अथवा जहां आकलनकर्ता युक्तियुक्त विश्वास में था कि उसकी कंपनी को विक्रय कर अधिनियम के तहत डीलर के तौर पर पंजीकृत नहीं कराना है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी पहले तो 18 प्रतिशत दर से निर्धारण योग्य कर दे रहा था जो अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित था। परंतु 2.6.98 के बाद अपीलार्थी ने पैकेज्ड माल पर कारखाने में कीमत अंकित न कर उसे डिपो में अंतरित कर दिया और यह दावा किया कि पैक माल पर कारखाने परिसर से निकालते वक्त उन पर कोई कीमत नहीं थी और उनके द्वारा उपहारों का प्रस्ताव भी किया गया था इसलिए माल की कीमत उसके विक्रय संव्यवहार का एकमात्र हिस्सा नहीं है। यह सभी कारक हमारे अनुसार अधिकारियों ने उचित प्रकार से अंकित किये एवं उनके द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये दंड को इस कार्यवाही में विचार योग्य नहीं पाया जाता।

परिणामतः अपील को खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।